

दुसरे तरफ
नंबर
तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चाणौद

पीठासीन अधिकारी:- श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 34 / 2007

तारीख दायरा 16.03.2007

तारीख आदेश 09.05.2016

वादीगण-

बनाम:

प्रतिवादीगण-

- 1-अतियादेवी पत्नी मानाराम
- 2-जमनादेवी पत्नी चुन्नीलाल
- 3-दलीदेवी पत्नी प्रेमराम
- 4-बदामीदेवी पत्नी मोहनलाल
जातिगण सिरवी निवासी चाणौद
तहसील सुमेरपुर

- 1-नवला पुत्र किसना
- 2-लुम्बा पुत्र चिमना
- 3-भूरा पुत्र जेठा
- 4-स्व.पीरा पुत्र डोवर के का.मु.-
4/1-वागाराम पुत्र स्व.पीरा
4/2-मगाराम उर्फ गणाराम स्व.पीरा
4/3-पुखाराज उर्फ पुखाराज पुत्र स्व.पीरा
4/4-गेनी पत्नी स्व.पीरा
- 5-भगा उर्फ मगा पुत्र भोमा
- 6-स्व.दुदा पुत्र देवा के का.मु.-
6/1-दलाराम पुत्र स्व.दुदा
6/2-चतराराम पुत्र स्व.दुदा
6/3-चेलाराम पुत्र स्व.दुदा
- 7-मुखा उर्फ मुका पुत्र टीकम
- 8-स्व.केसा पुत्र जोधा के का.मु.-
8/1-मोती पुत्र स्व.केसा
8/2-समुडी पत्नी स्व.केसा
- 9-स्व.नेका पुत्र पूना के का.मु.-
9/1-उदाराम पुत्र स्व.नेका
9/2-भीमाराम पुत्र स्व.नेका
9/3-दाकुदेवी पत्नी स्व.नेका
- 10-स्व.नथा पुत्र पूना के का.मु.-
10/1-लाला पुत्र स्व.नथा
10/2-चमनीदेवी पत्नी स्व.नथा
- 11-स्व.हेमा पुत्र दरगा के का.मु.-
11/1-मांगीलाल पुत्र स्व.हेमा
11/2-मूपाराम पुत्र स्व.हेमा
11/3-फूलीदेवी पत्नी स्व.हेमा
- 12-मनीया उर्फ माना पुत्र दरगा
जातिगण सिरवी निवासीगण चाणौद
- 13-राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
(भूमिधारी) सुमेरपुर



वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

-: निर्णय :-

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार मय अधिवक्ता उपस्थित। हमने पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की वाद-विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा चाणौद-1 तहसील सुमेरपुर में स्थित वर्तमान खसरा नं. 1636 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु. नाडा, खसरा नं. 1639 रकबा 0.01 हेक्टर गै.मु.बेरा, खसरा नं. 1641 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं. 1642 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा व खसरा नं. 1647 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा कुल रकबा 0.05 हेक्टर वादीगण व प्रतिवादी सं.01 लगाय 12 की

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

संयुक्त खातेदारी भूमि का पक्षकारों के मध्य माफिक हिस्सा मुजब बंटवाडा करने व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। कथित मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य-दस्तावेजों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पृष्टि होती है एवं लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की सहमति पश्चात् हमारे विधिक विचारों में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत् पक्षकारों के मध्य आज ही हिस्सा माफिक बंटवाडा करवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करना उचित समझते हैं।

अतः कथित मामले में उल्लेखित विवेचन पश्चात् वादग्रस्त भूमि के बारे में पक्षकारों के मध्य माफिक हिस्सा मुजब बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को अधिकृत किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट आज ही तैयार कर राजस्व लोक अदालत केम्प में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। माफिक आदेश प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

(2) कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सुमेरपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक चाणौद एवं पटवारी हल्का चाणौद ने प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट तैयार कर बरोज आज राजस्व लोक अदालत केम्प में पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को पुनः सुना गया, तदपरान्त दोनों पक्षों की सहमति के बाद वाद वादीगण स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा चाणौद-1 तहसील सुमेरपुर में स्थित वर्तमान खसरा नं. 1636 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.नाडा, खसरा नं. 1639 रकबा 0.01 हेक्टर गै.मु.बेरा, खसरा नं. 1641 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं. 1642 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा व खसरा नं. 1647 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा कुल रकबा 0.05 हेक्टर स्थित है, के बारे में निम्न रूपेण अंतिम बंटवाडा किया जाता है-

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भूरा, मोती पिसरान केसा, समुडी पत्नी केसा कौम सिरवी सा.देह खातेदार	1636	0.01 हेक्टर	गै.मु.नाडा
2	वागाराम, मगाराम, पुखराज पिसरान पीराराम, गेनी पत्नी पीराराम 1/4 हि., भगा पुत्र भोमा, सुखा पुत्र टीकम 1/4 हि., दलाराम, चेलाराम, चतराराम पिसरान दुदाराम, हंजादेवी, तीजोदेवी पुत्रीया दुदाराम 1/4 हि. हेमा, मनिया पिसरान दुर्गा 1/4 हि. कौम सिरवी सा.देह खातेदार	1641	0.01 हेक्टर	गै.मु.बेरा
3	नथा, नेका पिसरान पूना कौम सिरवी सा.देह खातेदार	1642	0.01 हेक्टर	गै.मु.बेरा
4	हेमा, मनिया पिसरान दुर्गा, भगा पुत्र भोमा, सुखा पुत्र टीकम कौम सिरवी सा. देह खातेदार	1647	0.01 हेक्टर	गै.मु.बेरा
5	अतियादेवी पत्नी मानाराम, जमनादेवी पत्नी चुन्नीलाल, दलीदेवी पत्नी प्रेमराम, बदामीदेवी पत्नी मोहनलाल 1/3 हि., नवला पुत्र किशना 1/3 हि., लुम्बा पुत्र चिमना 1/3 हि. कौम सिरवी सा.देह खातेदार	1639	0.01 हेक्टर	गै.मु.बेरा

नोट- प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न भाग माना जायेगा।

उपरोक्त अंतिम बंटवाडा मुजब तहसीलदार सुमेरपुर राजस्व रेकर्ड में नियमानुसी अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। उपरोक्त बंटवाडा अनुसार एक-दुसरा पक्षकार स्वयं या अन्य किसी प्रतिनिधि के जरिए किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री-पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय बरोज आज दिनांक 09.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र चाणौद में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

